

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जगमालसिंह  
निवासी प्लॉट नं. ई-3सी  
अम्बाजी औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. ५1 वर्ष 2024

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28.08.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 02.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा, पटवार हल्का आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरौही के खसरा संख्या 260/130, 262/131 की कृषि भूमि का आवंटन जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व/73/1180 दिनांक 20.06.1973 के द्वारा किया गया था। उक्त आवंटन आदेश व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 02.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा, पटवार हल्का आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरौही के खसरा संख्या 260/130, 262/131 की कृषि भूमि का आवंटन जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व/73/1180 दिनांक 20.06.1973 के द्वारा किया गया था। उक्त आवंटन आदेश व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(शुभम चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही